प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 22-08-2026

24 घंटे में पुलिस की त्वरित कार्यवाही का असर, घर से नाराज होकर गए नाबालिग भाई-बहन थाना रोजा पुलिस की तत्परता से हरकी पौड़ी, हरिद्वार से सकुशल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष रोजा के नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा गुम हुए बच्चों की तलाश कर उन्हें सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.08.2026 को वादी मुकदमा श्री पारस सक्सेना पुत्र संदीप कुमार निवासी देवरास, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 382/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा अपने नाबालिग भाई सोहन उम्र करीब 08 वर्ष एवं बहन दीपा उम्र करीब 15 वर्ष के घर से नाराज होकर कहीं चले जाने की सूचना दी गई थी। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा तत्काल तलाश एवं बरामदगी हेतु प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा किए गए निरंतर प्रयास एवं त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप 24 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग भाई-बहन को दिनांक 22.08.2026 को प्रातः करीब 05:00 बजे हरिद्वार स्थित हरकी पौड़ी से सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के फलस्वरूप दोनों नाबालिगों को सकुशल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामद गुमशुदा का विवरणः-

1.सोहन पुत्र संदीप कुमार निवासी ग्राम देवरास थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 08 वर्ष)।
2.दीपा पुत्री संदीप कुमार निवासी ग्राम देवरास थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर (उम्र करीब 15 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अं0सं0 382/2026 धारा 137(2) बीएनएस थाना रोजा शाहजहाँपुर।

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थानः

दिनांक 22-08-2026 को समय प्रात: 05.00 बजे, हरिद्वार स्थित हरकी पौडी से।

बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्रा थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री अभिषेक थाना रोजा, शाहजहाँपुर
3. का0 2041 सावन मलिक थाना रोजा, शाहजहाँपुर
4. म0आ0 भारती नैन थाना रोजा,शाहजहाँपुर।